न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई०ए०एस०)

प्रकरण संख्या – 132/2023

अनवान : –

1. निराणाराम पुत्र मंगतुराम जाति मेघवाल निवासी जसाना तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर
2. अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड नोहर तहसील नोहर।

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 ,राजस्थान काश्तकारी अधि0 1955

उपस्थिति :– 1. श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता वादी
2. पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 25/02/26

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा 21 जेएसएन तहसील नोहर के खाता स0 68/68 की कुल 1.4410 हैक्ट भूमि वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

रोही मौजा चक 21 जे.एस.एन. तहसील नोहर के खाता सं. 68/68 के प.न. 322/411 मु. न. 74 के किला नं. 1/3 की 0.0250 हैक्टर गै. मु. खाला किला नं. 2/1 की 0.0250 हैक्टर गै.मु. खाला, किला नं. 3/1 की 0.0250 हैक्टर गै.मु. खाला, किला नं. 4/1 की 0.0250 हैक्टर गै.मु. खाला, किला नं. 5/1 की 0.0260 हैक्टर गै.मु. खाला, व 5/3 की 0.0250 हैक्टर गै.मु खाला कुल तादादी 0.1510 हैक्टर भूमि गै.मु. खाला दर्ज है परन्तु उक्त भूमि में गै.मु. खाला कतई गलत दर्ज है राजस्व रिकार्ड में दर्ज है परन्तु मौके पर कभी भी खाला नहीं रहा है तथा कभी भी उक्त किला के खाला से सिंचाई नहीं की गई है। तथा उक्त किला में वादी हमेशा फसल काश्त करता है तथा मौके पर ही फसल काश्त है इसलिए वादी उक्त भूमि गै.मु. खाला के स्थान पर बतौर खातेदारी यानि मुमकिन दर्ज करवा पाने का अधिकारी है तथा राजस्व रिकार्ड में किला नं. 1/3. 2/1 व 3/1 व 4/1 व 5/1 व 5/3 की 0.1510 हैक्टर भूमि को गै.मु. खाला के स्थान पर बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज करवा पाने का अधिकारी है उपरोक्त आशयों की वादी घोषणा करापाने का अधिकारी है। रोही मौजा चक 21 जे. एस.एन. तहसील नोहर के खाता सं. 68/68 के प.न. 322/411 मु.न. 74 के किला नं. 1, 10, 11, 20, 21 में पूर्व से गै.मु. खाला स्थित है इसलिए अन्य खाला की वाद भूमि में आवयकता नही है तथा एक ही खेत में दो–दो खाले कानूनी तौर से स्वीकृत नही किये जो सकते है वाद भूमि वादी की पुरानी खातेदारी कृषि भूमि है तथा उक्त भूमि में किला नं. [illegible]/1 व 3/1 व 4/1 व 5/1 व 5/3 की 0.1510 हैक्टर भूमि को गै.मु. खाला [illegible] मौके पर सिंचाई विभाग द्वारा कोई खाला निर्मित नही है केवल राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने से वादी के खातेदारी [illegible] पर विपरित असर पड़ता है। जिसे वादी दुरूस्त करापाने का अधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.03.04 12:33:21 IST
Reason: SelfAttested

वादी ने प्रतिवादी सं. 1 को काफी मर्तबा कहा कि वो किला नं. 1/3. 2/1 व 3/1 व 4/1 व 5/1 व 5/3 की 0.1510 हैक्टर भूमि को गै.मु. खाला को मुमकिन दर्ज करवाकर एवं

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

सशोधित कर वाद भूमि वादी के नाम दर्ज कर देवे जिस पर प्रतिवादीगण कुछ दिन तो आजकल आजकल करते रहे बिल आखिर कार बमुकाम तहसील परिसर नोहर कतई इन्कार हो गया इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अधिवक्ता वादी द्वारा वाद के समर्थन में नकल जमाबंदी रोही मौजा चक 21 तहसील नोहर के खाता 68/68 पेश की गई। तहसीलदार नोहर द्वारा रिपोर्ट इस आशय की प्रेषित की गई कि उक्त रकबा के प0न0 322/411 मुन0 74 के किला न0 1/3, 2/1, 3/1, 4/1, 5/1 प्रत्येक में गै0मु0 खाला दर्ज है लेकिन इसी मु0न0 के किला न0 1, 10, 11, 20, 21 में मौके पर सिंचाई विभाग द्वारा खाला दर्ज करवा दिया गया है जो की मौके पर चालु है। अधिशाषी अभियंता जल संसाधन खण्ड नोहर द्वारा रिपोर्ट प्रेषित की गई कि रोही मौजा चक 21 जेएसएन हाल 8 आरएमएस के प0न0 322/411 के किला न0 1 ता 5 में मौके पर कोई खाला नही है एवं सीएडी द्वारा स्वीकृत चक स्कीम में उक्त किलो में खाला स्वीकृत नही किया गया है।

साक्ष्यवादी में वादी द्वारा शपथ पत्र पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अर्जीदावा के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि रोही मौजा चक 21 जे.एस.एन. तहसील नोहर के खाता सं. 68/68 के प.न. 322/411 मु.न. 74 के किला नं. 1/3 की 0.0250 हैक्टर गै. मु. खाला किला नं. 2/1 की 0.0250 हैक्टर गै.मु. खाला, किला नं. 3/1 की 0.0250 हैक्टर गै.मु. खाला, किला नं. 4/1 की 0.0250 हैक्टर गै.मु. खाला, किला नं. 5/1 की 0.0260 हैक्टर गै.मु. खाला, व 5/3 की 0.0250 हैक्टर गै.मु खाला कुल तादादी 0.1510 हैक्टर भूमि गै.मु. खाला दर्ज है परन्तु उक्त भूमि में गै.मु. खाला कतई गलत दर्ज है राजस्व रिकार्ड में दर्ज है परन्तु मौके पर कभी भी खाला नहीं रहा है तथा कभी भी उक्त किला के खाला से सिंचाई नहीं की गई है तथा उक्त किला में वादी हमेशा फसल काश्त करता है तथा मौके पर ही फसल काश्त है इसलिए वादी उक्त भूमि गै.मु. खाला के स्थान पर बतौर खातेदारी यानि मुमकिन दर्ज करवा पाने का अधिकारी है रोही मौजा चक 21 जे.एस.एन. तहसील नोहर के खाता सं. 68/68 के प.न. 322/411 मु.न. 74 के किला नं. 1, 10, 11, 20, 21 में पूर्व से गै.मु. खाला स्थित है इसलिए अन्य खाला की वाद भूमि में आवयकता नही है तथा एक ही खेत में दो–दो खाले कानूनी तौर से स्वीकृत नही किये जो सकते है वाद भूमि वादी की पुरानी खातेदारी कृषि भूमि है तथा उक्त भूमि में किला नं. 1/3. 2/1 व 3/1 व 4/1 व 5/1 व 5/3 की 0.1510 हैक्टर भूमि को गै.मु. खाला की कोई आवश्कता नही है उक्त मौके पर सिंचाई विभाग द्वारा कोई खाला निर्मित नही है केवल राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने से वादी के खातेदारी हकुक पर विपरित असर पड़ता है। जिसे वादी दुरूस्त करापाने का अधिकारी है।

पेरोकार राज ने निवेदन किया वादी वादी भूमि एवं राज्य हकों को ध्यान मे रखते हुए वाद का निस्तारण किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.03.04 12:53:21 IST
Reason: SelfAttested

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस को सुना गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों यथा नवीनतम जमाबंदी का अवलोकन किया वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 21 जेएसएन तहसील नोहर के खाता स0 68/68 की कुल 1.4410 हैक्ट भूमि वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा उक्त भूमि के प.न. 322/411 मु.न. 74 के किला नं. 1/3 की 0.0250 हैक्टर गै. मु. खाला किला

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

नं. 2/1 की 0.0250 हैक्टर गै.मु. खाला, किला नं. 3/1 की 0.0250 हैक्टर गै.मु. खाला, किला नं. 4/1 की 0.0250 हैक्टर गै.मु. खाला, किला नं. 5/1 की 0.0260 हैक्टर गै.मु. खाला, व 5/3 की 0.0250 हैक्टर गै.मु खाला कुल तादादी 0.1510 हैक्टर भूमि गै.मु. खाला दर्ज है। वादी का कथन है कि उक्त किला न0 में गै0मु0 खाला दर्ज है लेकिन मौके पर अब खाला नही है तथा ना ही खाला की आवश्यकता है क्योंकि सिंचित क्षेत्र विकास विभाग द्वारा सशोधित कर स्वीकृत चक स्कीम में अब अन्य जगह पर नया खाला स्वीकृत कर दिया है। इसलिए पुराने खाला की आवश्यकता नहीं है लेकिन राजस्व रिकार्ड में आज भी किला नं. 1/3. 2/1 व 3/1 व 4/1 व 5/1 व 5/3 की 0.1510 हैक्टर गै.मु. खाला दर्ज कर रखा है इन किलों की भूमि को वादी ही काश्त करता है इसलिए वादी उक्त गै0मु0 खाला की भूमि को मुमकिन दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। वादी के कथनों की पुष्टि तहसीलदार नोहर एवं अधिशाषी अभियंता जल संसाधन खण्ड नोहर द्वारा प्रेषित रिपोर्ट से होती है। तहसीलदार नोहर द्वारा रिपोर्ट के मुताबिक उक्त रकबा के प0न0 322/411 मुन0 74 के किला न0 1/3, 2/1, 3/1, 4/1, 5/1 प्रत्येक में गै0मु0 खाला दर्ज है लेकिन इसी मु0न0 के किला न0 1, 10, 11, 20, 21 में मौके पर सिंचाई विभाग द्वारा खाला दर्ज करवा दिया गया है जो की मौके पर चालु है तथा अधिशाषी अभियंता जल संसाधन खण्ड नोहर द्वारा रिपोर्ट प्रेषित के मुताबिक रोही मौजा चक 21 जेएसएन हाल 8 आरएमएस के प0न0 322/411 के किला न0 1 ता 5 में मौके पर कोई खाला नही है एवं सीएडी द्वारा स्वीकृत चक स्कीम में उक्त किलो में खाला स्वीकृत नही किया गया है।

गै0मु0 खाला अथवा रास्ता के बदलाव/निरस्तीकरण हेतु राजस्थान उपनिवेशन (सामान्य उपनिवेशन) शर्ते 1955 की शर्त संख्या 8(1) व 8(2) में वर्णित प्रावधानों व प्रदत्त शक्तियों तथा न्यायिक दृष्टांत आरआरटी 2011(1) स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम राजपाल पेज न0 167, आरआरडी 1987 पेज न0 279 एवं आरआरडी 1998 पेज न0 699 के अनुसार जब कभी भी किसी कारणवंश पूर्व में निर्मित रास्ता एवं खाले को निरस्त किया जाता है तो वह रास्ता एवं खाले की भूमि उसी काश्तकार के खाते में प्रत्याहित हो जावेंगी जिसके खाते में यह कम की गई थी।

पत्रावली में प्रस्तुत दस्तोवजों के अवलोकन से पाया गया की वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम दर्ज है तथा वर्तमान राजस्व रिकार्ड में रोही मौजा 21 जेएसएन तहसील नोहर के खाता स0 68/68 की कुल 1.4410 हैक्ट भूमि वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा उक्त भूमि के प.न. 322/411 मु.न. 74 के किला नं. 1/3 की 0.0250 हैक्टर गै. मु. खाला किला नं. 2/1 की 0.0250 हैक्टर गै.मु. खाला, किला नं. 3/1 की 0.0250 हैक्टर गै.मु. खाला, किला नं. 4/1 की 0.0250 हैक्टर गै.मु. खाला, किला नं. 5/1 की 0.0260 हैक्टर गै.मु. खाला, व 5/3 की 0.0250 हैक्टर गै.मु खाला कुल तादादी 0.1510 हैक्टर भूमि गै.मु. खाला दर्ज है। लेकिन वर्तमान में जल संसाधन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार उक्त किलों में खाला स्वीकृत नही किया गया है तथा तहसीलदार नोहर के रिपोर्ट के अनुसार उक्त किलों में खाले का निर्माण नही है अब सिंचाई विभाग द्वारा खाला अन्य जगह पर स्वीकृत किया जा चुका है इसलिए वादी गै0मु0 [illegible]/रास्ता के लिए कम की गई भूमि को पुनः वादी अपने नाम बतौर खातेदार दर्ज [illegible] अधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.03.04 12:53:21 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार नोहर एवं अधिशाषी अभियंता जल संसाधन खण्ड नोहर द्वारा भी रिपोर्ट प्रेषित कि गई की उक्त किलों में वर्तमान में कोई खाला नही है एवं नई चक स्कीम के अन्तर्गत भी उक्त किलों में खाता स्वीकृत भी नही है। उपरोक्त विवेचनानुसार वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों, पत्रावली में प्रस्तुत

Rahul

दस्तावेजात एवं जल संसाधन विभाग नोहर की रिपोर्ट तथा तहसीलदार (राजस्व) नोहर की रिपोर्ट के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण स्वीकार योग्य है।

अतः अधिशाषी अभियंता जल संसाधन खण्ड नोहर एवं तहसीदार (राजस्व) नोहर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 21 जेएसएन तहसील नोहर के खाता स0 68/68 के प.न. 322/411 मु.न. 74 के किला नं. 1/3 की 0.0250 हैक्टर गै. मु. खाला किला नं. 2/1 की 0.0250 हैक्टर गै.मु. खाला, किला नं. 3/1 की 0.0250 हैक्टर गै.मु. खाला, किला नं. 4/1 की 0.0250 हैक्टर गै.मु. खाला, किला नं. 5/1 की 0.0260 हैक्टर गै.मु. खाला, व 5/3 की 0.0250 हैक्टर गै.मु खाला कुल तादादी 0.1510 हैक्टर भूमि गै.मु. खाला की भूमि को मुमकिन दर्ज किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हों। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 25/02/26 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul
(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.03.04 12:53:21 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 132/2023

अनवान : –

1. निराणाराम पुत्र मंगतुराम जाति मेघवाल निवासी जसाना तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर
2. अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड नोहर तहसील नोहर।

–प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 132 सन 2023 निर्णय दिनांक 25/02/26

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री मदन मोहन जोशी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं अधिशाषी अभियंता जल संसाधन खण्ड नोहर एवं तहसीलदार नोहर द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 21 जेएसएन तहसील नोहर के खाता स0 68/68 के प.न. 322/411 मु.न. 74 के किला नं. 1/3 की 0.0250 हैक्टर गै. मु. खाला किला नं. 2/1 की 0.0250 हैक्टर गै.मु. खाला, किला नं. 3/1 की 0.0250 हैक्टर गै.मु. खाला, किला नं. 4/1 की 0.0250 हैक्टर गै.मु. खाला, किला नं. 5/1 की 0.0260 हैक्टर गै.मु. खाला, व 5/3 की 0.0250 हैक्टर गै.मु खाला कुल तादादी 0.1510 हैक्टर भूमि गै.मु. खाला की भूमि को मुमकिन दर्ज किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हों। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 25/02/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.03.04 12:53:21 IST
Reason: SelfAttested